भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2886

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

2886. श्री कार्तिक चन्द्र पॉल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण किए गए और चल रहे कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी ग्रामीण सड़कों का निर्माण, उन्नयन किया गया और कितनी निधि आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - I, II और III के अंतर्गत उक्त जिले में अब तक कितनी बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और सड़कों से वास्तव में जोड़ी गई बसावटों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त जिले में विलंब, लागत में वृद्धि, ठेकेदारों की त्रुटियों और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए दिए गए रख-रखाव ठेकों की गुणवत्ता और टिकाउपन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उत्तर दिनाजपुर जिले में पूर्ण ग्रामीण संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से एक बारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में कार्यान्वित किया

जा रहा है, ताकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित जनसंख्या की पात्र संपर्कता रहित बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान की जा सके।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत उत्तर दिनाजपुर जिला, पश्चिम बंगाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत, पूर्ण और शेष कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत			*पूर्ण			@ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष परियोजनाएं		
	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुल
2021-22	0	0	0	9	14	2	8	5	2
2022-23	8	39	0	6	1	2	10	42	0
2023-24	0	0	0	3	17	0	7	23	0
2024-25	14	120	0	3	8	0	18	134	0
2025-26 (05.03.2026 तक)	0	0	0	4	67	0	13	68	0

टिप्पणी:- * यह योजना वर्ष 2000 से चल रही है, इसलिए, पूरी हो चुकी सड़कों के तहत दर्ज कार्यों में पहले से स्वीकृत कार्य शामिल हैं, जो बाद के वर्षों में पूरे हुए थे। @शेष सड़क की लंबाई भी भिन्न हो सकती है क्योंकि यह संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में दर्ज किए गए संचयी आंकड़े हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत पूर्ण की गई परियोजनाओं और पीएमजीएसवाई-II और III के तहत उन्नत/समेकित परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पूर्ण कार्य			पीएमजीएसवाई-II एवं III के अंतर्गत उन्नत/समेकित		
	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुल	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुल
2021-22	9	14	2	4	10	0
2022-23	6	1	2	3	1	0
2023-24	3	17	0	1	17	0
2024-25	3	8	0	3	8	0
2025-26 (05.03.2026 तक)	4	67	0	4	67	0

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, निधियां राज्य को एक इकाई के रूप में जारी की जाती हैं और जिलों को निधि वितरित करना राज्य की जिम्मेदारी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को जारी की गई केंद्रीय निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**जारी केंद्रीय निधियां (करोड़ रु. में)**	**पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रयुक्त कुल निधियां (राज्यों के हिस्से सहित) (करोड़ रु. में)**
2021-22	49.94	702.81
2022-23	381.03	392.48
2023-24	99.275	312.40
2024-25	225.0	274.26
2025-26 (05.03.2026 तक)	400.0	741.66

(ग) उत्तर दिनाजपुर जिले में पीएमजीएसवाई-I के तहत लक्षित सभी 638 बसावटों को संपर्कता प्रदान कर दी गई है। पीएमजीएसवाई-II और III उन्नयन/समेकन कार्यों के लिए हैं, जिनका विवरण ऊपर बिंदु (ख) में दिया गया है।

(घ) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत कार्यों के निविदा एवं आवंटन, ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के निष्पादन और सड़क कार्यों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। उत्तर दिनाजपुर जिले में लागत वृद्धि या ठेकेदार की चूक का कोई मामला सामने नहीं आया है। गुणवत्ता के संबंध में, पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स (एनक्यूएम) द्वारा 51 पैकेजों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 45 पैकेजों को "संतोषजनक" और 6 पैकेजों को "असंतोषजनक" ग्रेड दिया गया था। "असंतोषजनक" के रूप में वर्गीकृत सभी कार्यों का अनुपालन कर लिया गया है, और "संतोषजनक" ग्रेडिंग के साथ अनुपालन रिपोर्ट ओएमएमएएस (पीएमजीएसवाई के लिए एमआईएस) पर अपलोड कर दी गई हैं।

(ड.) पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीएसवाई के तहत तीन-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र स्थापित किया गया है:

- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का प्रथम स्तर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है।

- गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र का दूसरा स्तर पीआईयू (पीआईयू) से स्वतंत्र, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर्स (एसक्यूएम) द्वारा सभी कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण है।
- तीसरे स्तर के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) जिले/राज्य में सामान्य गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, यादृच्छिक रूप से चयनित सड़क कार्यों के निरीक्षण हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स (एनक्यूएम) को तैनात करती है।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। योजना के तहत स्वीकृत सभी सड़क कार्यों को मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार, उसी ठेकेदार के साथ निर्माण संविदा के साथ प्रारंभिक पांच वर्षीय रखरखाव संविदाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रखरखाव निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जानी है। 5 साल बाद भी, सड़कों का रखरखाव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव पर ध्यान बढ़ाने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स' (ई-मार्ग) लागू किया है।

(च) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का योजना की समय-सीमा के भीतर निष्पादन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:-

i. कार्यक्रम की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों, मासिक समीक्षा बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जाती है।
ii. राज्य सरकारों को यह भी नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों, वन मंजूरी आदि से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें करें।
iii. राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंधन क्षमता को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
iv. क्षमता निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
v. मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कई ठेकेदारों से संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

*****